न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

क्रमांक – रीडर/2018/838 दिनांक 10/5/18

प्रेषित :–

तहसीलदार चौहटन

विषय :– राजस्व अपील सं. 09/15 अनवान गंगादेवी वगैरा बनाम ग्राप पंचायत बाछड़ाऊ द्वारा सरपंच वगैरा में न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.05.2018 की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में विचाराधीन अपील सं. 09/16 अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.रा. अधिनियम में निर्णय दिनांक 09.05.2018 को पारित किया गया है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2018 की पालना करते हुए पालना रिपोर्ट की सूचना 15 दिवस में पेश करे।

सलंग्न – निर्णय की प्रमाणित प्रति।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

राजस्व अपील :– 09/16 अन्तर्गत धारा 75 RLR Act

अनवान :–

अपीलाण्टगण :–

1. गंगादेवी पुत्री पदमाराम पत्नी उमाराम, जाति जाट निवासी लूखू, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।
2. पेमी देवी पुत्री पदमाराम पत्नी भेराराम, जाति जाट निवासी कोठाला, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।
3. वनूदेवी पुत्री पदमाराम पत्नी हेमाराम जाति जाट निवासी लोहारवा, तहसील धोरीमन्ना
4. पुखी देवी पुत्री पदमाराम पत्नी धनाराम, जाति जाट निवासी लूखू, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।
5. पुष्पादेवी पुत्री पदमाराम पत्नी पूनमाराम, जाति जाट निवासी तारातरा, तहसील चौहटन
6. मीरांदेवी पुत्री पदमाराम पत्नी भेराराम, जाति जाट निवासी बिसारणिया, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।
7. रामूदेवी पुत्री पदमाराम पत्नि हरदानराम, जाति जाट निवासी टांपी, तहसील सांचोर

उपखण्ड अधिकारी * चौहटन *

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. ग्राम पंचायत बाछड़ाऊ द्वारा सरपंच 2.देवीलाल पुत्र पमाराम 3.मु.अमरूदेवी पत्नी पदमाराम 4.मु.कोशली पत्नी गुमनाराम जाति जाट, निवासी बाछड़ाऊ, तहसील चौहटन 5.सेभू पुत्र प्रहलाद 6.जोगाराम 7.पूराराम 8.आसूराम 9.पोकरराम पि. भगाराम 10.मु.नोजी पत्नि भगाराम, जाति जाट निवासी बाछड़ाऊ, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

वकील अपीलाण्टगण :– श्री जेठाराम जाणी

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

निर्णय

दिनांक 09.05.2018

अपीलाण्टगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.अ. विरूद्ध उतरदातागण पेश किया। जिसका सार संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद मौजा जाणियोंवाला, पटवार मण्डल बाछड़ाऊ, तहसील चौहटन में अपीलाण्टगण के पिता स्व. पदमाराम व उनके भाई भतीजो उतरदाता सं. 5 से 10 की संयुक्त खातेदारी में खेत खसरा सं. 765 रकबा 50.12 बीघा व ढाणी खसरा सं. 764 रकबा 00.08 बीघा समस्त रकबा 51.00 बीघा आया हुआ था।

कि पदमाराम का निर्वसीयती देहान्त इसी सन 2010 में हो गया। उसके देहान्त के समय उसके प्रथम वर्ग के वारीसान उसका पुत्र देवाराम, मृतक की विधवा मु. अमरू देवी, पूर्वमृत पुत्र गुमनाराम की विधवा कोशली देवी क्रमशः उतरदाता सं. 2 से 4 तथा सात पुत्रिये अपीलाण्टगण थी। परन्तु उनकी विरासत का नामान्तरकरण सं. 43 उतरदाता सं. 2 ने वारीसान की सूचना गलत देकर उतरदाता सं. 1 से बिना जांच स्वीकृत करा दिया और खातेदारी रेकर्ड में स्व. पदमाराम के स्थान पर उतरदाता सं. 2 से 4 के नाम का अंकन हो गया। उतरदाता सं. 2 ने स्व. पदमाराम के वारिसान के सही तथ्य छिपाकर हल्का पटवारी को मृतक के वारिसान की आधी अधूरी सूचना देकर विरासत का नामान्तरकरण केवल उतरदाता सं. 2 से 4 के पक्ष में खुलवा कर ग्राम पंचायत के सरपंच से तस्दीक करा दिया और इस प्रकार अपीलाण्टगण को स्व. पदमाराम के खातेदारी हिस्से से वंचित करने का प्रयास किया गया। अतः अपीलाधीन आराजी पर पारित उतरदाता सं. 1 के आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्टगण द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया कि

उतरदाता सं. 1 ने नामान्तरकरण आदेश पारित करने में भारी भूल की है। नामान्तरकरण आदेश पारित करने से पूर्व उतरदाता सं. 1 द्वारा स्व. पदमाराम के वारिसान की जांच नहीं की गई और न ही अपीलाण्टगण को सुनवाई का अवसर दिया गया। अतः पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल एवं अपीलाण्टगण के लिए शून्य व प्रभावहीन है। अतः अपीलाण्टगण ने अपील पेश कर निवेदन किया कि उतरदाता सं. 1 द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश दिनांक 02.02.2012 निरस्त कर आराजी के सह खातेदार स्व. पदमाराम की फौतगी पर खाले गये नामान्तरकरण में उतरदाता सं. 2 से 4 के साथ अपीलाण्टगण के नाम अंकन करने का आदेश फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

अपीलाण्टगण की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उतरदातागण सम्मन/नोटिस जारी किये गये। अपीलाण्टगण द्वारा लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों में नामान्तरकरण सं. 43 मौजा बाछड़ाऊ, नकल मौजूदा जमाबन्दी खसरा सं. 764, 765 मौजा बाछड़ाऊ संवत् 2069 – 2072, नकल नक्शा ट्रेस खसरा सं. 764, 765 मौजा बाछड़ाऊ की छायाप्रति पेश की।

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत / कोर्ट कैम्प बाछड़ाऊ में पेश हुई। उभयपक्षकरान उप. हुए । उभयपक्षकारान ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि उक्त अपील में वर्णित तथ्यों अनुसार निर्णय किया जावे तो हम पक्षकार सहमत है।

पत्रावली का अध्ययन/अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त वादग्रस्त के संबंध में स्व. पदमाराम की फौतगी पर उसके प्रथम वर्ग के वारीसान उसका पुत्र देवाराम, मृतक की विधवा मु. अमरू देवी, पूर्वमृत पुत्र गुमनाराम की विधवा कोशली देवी क्रमशः उतरदाता सं. 2 से 4 तथा सात पुत्रिये अपीलाण्टगण थी। परन्तु उनकी विरासत का नामान्तरकरण सं. 43 उतरदाता सं. 2 ने वारीसान की सूचना गलत देकर उतरदाता सं. 1 से बिना जांच स्वीकृत करा दिया और खातेदारी रेकर्ड में स्व. पदमाराम के स्थान पर उतरदाता सं. 2 से 4 के नाम का अंकन हो गया। उतरदाता सं. 2 ने स्व. पदमाराम के वारिसान के सही तथ्य छिपाकर हल्का पटवारी को मृतक के वारिसान की आधी अधूरी सूचना देकर विरासत का नामान्तरकरण केवल उतरदाता सं. 2 से 4 के पक्ष में खुलवा कर ग्राम पंचायत के सरपंच से तस्दीक करा दिया और इस प्रकार अपीलाण्टगण को स्व. पदमाराम के खातेदारी हिस्से से वंचित करने का प्रयास किया गया।

इस प्रकार उतरदाता सं. 1 ने स्व.पदमाराम की फौतगी पर नामान्तकरण आदेश पारित करने में विधि की भारी भूल की है। उतरदाता सं. 1 ने स्व.पदमाराम के वारिशान की उचित जांच किये बिना ही नामान्तरकरण आदेश उतरदाता सं. 2 से 4 के नाम पारित कर दिया जो कि अपीलाण्टगण के हितो पर भारी कुठाराघात था क्योंकि अपीलाण्टगण भी स्व. पदमाराम की जाईन्दा पुत्रिया थी इस आधार पर नामान्तरकरण में उनका नाम भी उतरदाता सं. 2 से 4 साथ सहखातेदार के रूप में अंकन होना चाहिये था। परन्तु ऐसा नहीं हुआ।

इस प्रकार न्यायालय के मतानुसार स्व. पदमाराम की फौतगी पर उतरदाता सं. 1 द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश 43 खारीज योग्य है। अतः अपीलाण्टगण की अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.रा. अधिनियम स्वीकार की जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

(4)

जाणियोंवाला, पटवार क्षेत्र बाछड़ाऊ के खेत खसरा सं. 765 व 764 के संबंध में स्व. पदमाराम की फौतगी पर पारित नामान्तरकरण आदेश 43 खारीज किया जाकर आदेश दिये जाते है कि स्व.पदमाराम के विधिक वारिशान की सही जांच कर अपीलाण्टगण का नाम उतरदाता सं. 2 से 4 के साथ अंकन करते हुए नये सिरे नामान्तकरण पारित किया जावे।

निर्णय न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/ कोर्ट कैम्प बाछड़ाऊ में दिनांक 09.05.2018 को मजमे आम में लिखकर सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । संख्या से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी * चौहटन *

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन